प्रारूप - दो
(नियम - 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक: 1462240740

क्रमांक: 122201884517

यह प्रमाणित किया जाता है शिक्षा वन एवं जलवायु परिवर्तन, संवर्धन एवं विकास समिति सोसायटी जो 101, धरमपुरा , सेक्टर १, ग्रीन पार्क कालोनी, जगदलपुर जिला बस्तर तहसील **Jagdalpur** जिला **Bastar** में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन तारीख 07/04/2018 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

(आर. आर. राजभानु)
समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार
बस्तर संभाग

This is computer generated certificate. This certificate can be verified online at http://rfas.cg.nic.in/ through Certificate No. and Date of Registration

Principal
Moonstone International School
JAGDALPUR (C.G.)

Validity unknown
Digitally signed by RAJARAM RAJBHANU
Date: 2018.04.07 14:06:18 IST
Reason: Certified to be TRUE COPY of the Issued Certificate by Registrar Firms and Society, CG

नियमावली

संवर्धन एवम् विकास

1. **संस्था का नाम** :– इस संस्था का नाम शिक्षा, वन एवं जलवायु परिवर्तन समिति, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) होगा।

2. **संस्था का कार्यालय** :– इस संस्था का प्रधान कार्यालय धरमपुरा, सेक्टर–1, ग्रीन पार्क कालोनी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) पिन कोड नं. 494001 में रहेगा।

3. **इस संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होगें** :–
   1. नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चों को उच्च गुणवत्ता के शिक्षा हेतु विशेष प्रयास करना।
   2. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना। शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, रोजगार उन्मुख शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, संस्कार एवं ज्ञान–विज्ञान प्रदान करना।
   3. प्रशिक्षण विद्यालय, संस्थाऐं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नियमित संस्थाऐं संचालित करना।
   4. युवाओं एवं महिलाओं को कम्प्यूटर साक्षरता, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।
   5. समाज में नये परिवेश के अनुरूप रोजगारोन्मुखी एवं व्यवसायपरक तथा आजिविका प्रदान करने वाले क्षेत्रों से सम्बधित शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करना। रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना। इस हेतु आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
   6. व्यावसायीक शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रतिभागीयों को शिक्षण–प्रशिक्षण पदान करना। स्व–आकलन परिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों में क्षमता में वृध्दि करना एवं उनका आत्मविश्वास तथा मनोबल बढ़ाने हेतु प्रयास करना तथा ऐसे उद्देश्यों में लगे व्यक्तियों, संस्थाओं को तकनीकी सहयोग प्रदान करना, प्रेरित करना।
   7. पर्यावरण संरक्षण हेतु जन जागृति लाने व जन साधारण में जागरूकता लाने हेतु प्रचार–प्रसार करना। सेमिनार, कार्यशाला आयोजित करना।
   8. महिलाओं के सर्वागींण विकास हेतु कार्य करते हुये महिला उत्पीड़न के विरूद्ध सामाजिक चेतना जागृत करना तथा महिलाओं एवं बच्चों को विभिन्न प्रकार के कुपोषणों से बचाना ।
   9. समय–समय पर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की प्रोन्नति तथा उनका क्रियान्वयन एवं समय–समय पर राष्ट्र सेवा, समाज सेवा संबंधित कार्य करना।

4. **संस्था का कार्यक्षेत्र** :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र बस्तर संभाग होगा।

5. **सदस्यता** :– संस्था के निम्न श्रेणी के सदस्य होंगें–

   (अ.) **संरक्षक सदस्य** :–संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 49500/– एक मुश्त या दो किश्तों में देगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा।

   (ब.) **आजीवन सदस्य** :– जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 29700/– देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा।

   (स) **स्थायी सदस्य** :– संस्था की स्थापना करने वाले संस्थापक सदस्य ही स्थायी सदस्य कहलायेंगे, स्थायी सदस्यों की कुल संख्या 8 रहेगी। स्थायी सदस्यों में यदि कोई स्थान रिक्त हुआ तो इस स्थान की पूर्ति अन्य स्थायी सदस्यों की अनुशंसा पर कार्यकरिणी समिति द्वारा की जावेगी। ऐसे व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 39600/– देगा वह संस्था का स्थायी सदस्य बन सकेगा।

   (द) **साधारण सदस्य** :– जो व्यक्ति रूपये 9900/– एक मुश्त संस्था को चंदे के रुप में देगा वह साधारण सदस्य होगा।

   (ई) **सम्मानीय सदस्य** :– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो निर्धारित प्रारूप मे लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबन्धकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा। जिसे की उस आवेदन पत्र को स्वीकार करने या कारण बताते हुए उसे अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. *सदस्यों की योग्यता* :– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक है:--

(1) आयु 18 वर्ष से कम ना हो।
(2) भारतीय नागरिक हो।
(3) समिति के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हो।
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।
(5) पागल न हो या अन्य प्रकार से अयोग्य न हो।

8. *सदस्यता की समाप्ति* :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी।

(1) मृत्यु हो जाने पर
(2) पागल हो जाने पर
(3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 6 मे बतायें अनुसार जमा न करने पर
(4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर
(5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।
(6) कार्यकारिणी समिति यदि यह समझता है कि कोई सदस्य कार्य में रूचि नही रख रहा है ऐसी स्थिति में सदस्य को लिखित नोटिस देने के उपरांत भी यदि अपने कार्य में सुधार नही लाता है ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी समिति के द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

9. *संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दिये जावेंगें* :–

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता एवं व्यवसाय ।
(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो, रसीद नं.।
(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर ।

10. (अ) साधारण सभा :– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगें। माह अप्रेल में साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/6 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जायेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को लिखित भेजा जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 3/5 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है, तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नही होगी।

(स) विशेष सभा :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए विशेष सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 4--5 दिन के भीतर भेजी जायेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण व प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :–
प्रबंधकारिणी का गठन – ट्रस्टीज यदि कोई हो तो संस्था के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स, द) में दर्शाये गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी संस्था के सदस्यों का निर्वाचन होगा –
1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष, 5 सयुक्त सचिव एवं 6 सदस्य – 3

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता कार्य करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी तथा उसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :–

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक मे प्रस्तुत करना।
(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए।
(घ) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति प्रबंधकारिणी समिति के नाम से रहेगी।
(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।
(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक मे उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

15. अध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को लिपि बध्द करना।

(4) सचिव को किसी कार्य के खर्च के लिये एक समय में रुपये 500000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में उनका समस्त कार्य करना।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की समस्त धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति व्यय करना। कोषाध्यक्ष को किसी कार्य के खर्च के लिए एक समय में रुपये 500000/– खर्च करने का अधिकार होगा।

20. **ऋण प्राप्त करने का अधिकार**:– आवश्यकतानुसार संस्था को अनुसूचित बैंक, वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य श्रोतों से संस्था के हित में संस्था की संपत्ति को बन्धक रखकर या/एवं अन्य प्रतिभूति प्रदान कर ऋण प्राप्त करने का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य अपने निजी हित में संस्था की संपत्ति को बंधक रखकर ऋण नहीं ले सकेगा।

21. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनूसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव (मंत्री) व कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 500000/– रहेगें।

22. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित विधि से कार्यकारिणी समिति की सूची रजिस्ट्रार के पास फाइल की जावेगी, तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का परीक्षित लेखा मय–नियत शुल्क के साथ भेजा जायेगा।

23. **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतां से पारित किया जावेगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

24. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

25. **संपत्ति** :– संस्था की चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी।

26. **पंजीयक द्वारा बैंठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आव यक होने पर पंजीयक फर्म्स एव संस्थाऐं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27. **विवाद** :–संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधासण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से उभय पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निणर्य के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। सचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

---0---